[भारत के राजपत्र, असाधारण,के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 77/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्तूबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,एतत द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जिसे सा.का. नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में,

(i) क्रम सं0 212 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''212क	30	विनिर्दिष्ट निबंधनों के अध्यधीन यूनीसेफ, रेडक्रास या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निशुल्क आपूर्ति की जाने वाली औषधियां/ दवाएं/टीके स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्य से ,- ''अंतर्राष्ट्रीय संगठन से तात्पर्य	शून्य	शून्य	103;'',

		ऐसे संगठन से है जिसको केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राष्ट्र(विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम) 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में उद्घोषणा की है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे I			

(ii) क्रम संख्या 359 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘’359क	71	विनिर्दिष्ट बैंकों और विनिर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयों(पीएसयू) (सूची 34 अनुसार) के द्वारा आयातित स्वर्ण	-	शून्य	-;’’,

(iii) क्रम सं0 557 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘’557क	89	पट्टे के अंतर्गत तेल/गैस के अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाओं के लिए आयातित रिग्स और एंसीलरी आइटम	-	शून्य	102;’’,

(iv) क्रम संख्या में, क्रम सं0 608 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘’608क	9804	डाक या हवाई जहाज के माध्यम से आयातित वाजिब उपहार जिनका अधिकतम सीआईएफ मूल्य सीमा 5 हजार	शून्य	शून्य	103;’’,

		रूपये हो और जिनके आयात को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का 22) के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्रतिबंध से छूट दी गई हो ।			

(ख) अनुबंध में,

(i) शर्त संख्या 102 के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जायेगा-

शर्त सं0	शर्त
''103	यदि आयात करने वाली एजेंसी आयात के समय- 1. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कम से कम उपसचिव, भारत सरकार के स्तर के किसी अधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि आयातित औषधियों/दवाएं/टीके (विवरण, मात्रा और तकनीकी विशेषताओं से संबंधित) की आपूर्ति यूनीसेफ, रेडक्रास अथवा किसी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा की गई है और यह केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के द्वारा प्रयोजित टीकाकरण कार्यक्रम की जरूरत के लिए है, और 2. उपआयुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क , जैसी भी स्थिति हो, को इस आशय की अंडरटेकिंग देता है कि ऐसे आयातित माल का प्रयोग उपर्युक्त उद्‌देश्य के लिए किया जाएगा और वह यदि ऐसे आयातित माल का प्रयोग उपर्युक्त उददेश्य के लिए नहीं कर पाता है तो ऐसे आयातित माल की मात्रा पर लगने वाले शुल्क और उसके द्वारा पहले ही किए गए भुगतान के बीच जो को जो अंतर होगा उसके बराबर राशि का भुगतान मांग किए जाने पर, यदि ऐसी अधिसूचना में कोई छूट न दी गई हो तो, करेगा ।

(ii) सूची 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जायेगा, यथा-

‘’सूची 34 (सारणी के क्रम संख्या 359क को देखें)

1. इलाहाबाद बैंक
2. ऐक्सिस बैंक
3. बैंक आफ बड़ौदा
4. बैंक आफ इंडिया
5. बैंक आफ नोवा स्कोटिया
6. केनरा बैंक
7. कार्पोरेशन बैंक
8. आंध्र बैंक
9. द फेडरल बैक लिमिटेड
10. एचडीएफसी बैंक
11. आईसीआईसी बैंक
12. इंडियन बैंक
13. इंडूसइंड बैंक लिमिटेड
14. इंडियन ओवरसीज बैंक
15. कोटक माहेंद्रा बैंक
16. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
17. पंजाब नेशनल बैंक
18. स्टेट बैंक आफ इंडिया
19. सिंडिकेट बैंक
20. यूनियन बैंक आफ इंडिया
21. बैक आफ महाराष्ट्र
22. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
23. सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
24. धन लक्ष्मी बैंक
25. आइएनजी व्यास बैंक
26. कारूर वैश्य बैंक

27. पंजाब एंड सिंध बैंक

28. साउथ इंडियन बैंक

29. स्टैंडर्ड चार्टड बैंक

30. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर

31. स्टेट बैक आफ हैदराबाद

32. स्टेट बैंक आफ मैसूर

33. स्टेट बैंक आफ पटियाला

34. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

35. येस बैंक

36. देना बैंक

37. एमएमटीसी

38. द हैंडिक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

39. पीईसी लिमिटेड

40. द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

41. एमएसटीसी लिमिटेड"

[फा.सं.354/119/2017-टीआरयू (भाग.III)]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 76/2017-सीमा शुल्क, तारीख 15 सितम्बर, 2017 सा.का.नि. 1181(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2017 द्वारा किया गया था ।